

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग
अधिसूचना

दिनांक 28 अगस्त, 1997

संख्या जे0 डी0-97/13578- पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 की धारा-4 की उपधारा (I) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट और इससे संलग्न नक्शे में दर्शाये गये राजकीय प्राथमिक विद्यालय, गांव टेथर, जिला गुड़गांव के आस-पास के क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियंत्रित क्षेत्र घोषित करते हैं, अर्थात्:-

अनुसूची

राजकीय प्राथमिक विद्यालय, टेथर, जिला गुड़गांव के के आस-पास के नियंत्रित क्षेत्र की सीमा अनुसूची को ड्राईंग संख्या डी0 टी0 पी0 (जी)- 525/94, दिनांक 19 जुलाई, 1994 के साथ पढ़ा जाए:-

उत्तर: बिन्दू 'क' से लेकर अर्थात् गांव रोजका गुज्जर की खसरा संख्या 97 के उत्तर पश्चिमी कोने , उसके बाद गुड़गांव फरीदाबाद जिले की जिले सीमा के साथ-साथ दक्षिण पूर्व की ओर बिन्दू 'ख' तक अर्थात् टेथर की आयत संख्या 24 के उत्तर पूर्वी कोने तक ।

पूर्व: उसके बाद दक्षिण, दक्षिण पश्चिम की ओर गांव टेथर की आयत संख्या 24,32,38 और 41 पूर्वी सीमा और गांव बादशाहपुर टेथर की आयत संख्या 31,38,39 और 42 की दक्षिणी पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिन्दू 'ग' तक अर्थात् जहां गांव बादशाहपुर टेथर गांव कुलियाका और गांव खेरली लाल की राजस्व सीमाएं मिलती है ।

दक्षिण: उसके बाद गांव बादशाहपुर टेथर की दक्षिण-पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ-साथ पश्चिम की ओर बिन्दू 'घ' तक अर्थात् गांव बादशाहपुर टेथर की आयत संख्या 24 के दक्षिण-पश्चिमी कोने तक ।

पश्चिम:-उसके बाद गांव बादशाहपुर टेथर की आयत संख्या 24,7,8,6 तथा 1 गांव टेथर की आयत संख्या 17 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर बिन्दू "ड" तक अर्थात् गांव टेथर की आयत संख्या 16 का दक्षिण-पश्चिमी कोना, उसके बाद गांव मंडावर की आयत संख्या 12 और 11 और गांव रोजका-गुज्जर की खसरा संख्या 121 की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ पश्चिम की ओर गांव रोजका गुज्जर की खसरा संख्या 121 के दक्षिण पश्चिमी कोने तक, उसके बाद गांव रोजका गुज्जर की खसरा संख्या 121,109,108 और 97 की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर बिन्दू "क" तक अर्थात् आरम्भ के बिन्दू तक ।

भास्कर चटर्जी,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाण सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग ।

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

Notification

The 28th August, 1997

No. JD-97/13578- In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (i) of section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 and all other powers enabling him in this behalf, the governor of Haryana declares the area around Govt. Primary School at village-Tethar, Distt. Gurgaon as specified in the Schedule given below and shown in the plan appended hereto to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

Schedule of Boundaries for controlled area around Govt. Primary School of village-Tethar, Distt. Gurgaon to be read with drawing No. DTP(G) 525/94 dated 19st July, 1994.

North: Starting from point 'A' i.e. the north western corner of Khasra No. 97 of Village Rojka Gujar, thence towards south east along the district boundary of Gurgaon Faridabad District. Upto point 'B' i.e. the north eastern corner of rect. No. 24 of village Tethar.

East: Thence towards south south-west along the eastern boundary Rect. No. 24,32,38 and 41 of village Tethar and south eastern boundary of Rect. No. 31,38,39 and 42 of village Badshapur Tethar upto point 'C' i.e. the trijunction of revenue boundaries of village Badshapur Tethar, village Kuliaka and village Kherli-Lala.

South: Thence towards west along the south-western revenue boundary of village Badshapur Tethar upto point 'D' i.e. the south-western corner of Ret. No. 24 of village Badshapur Tethar.

West: Thence towards north along the western boundary of Rect. No. 24,7,8,6 and 1 of village Badshapur Tethar and Rect. No. 17 of village Tethar upto point 'E' i.e. the south western corner of rect. No. 16 of village Tethar, thence towards west along the southern boundary of Rect. No. 12 and 11 of village mandawar and Khasra No. 121 of village Rojka Gujar upto the south western corner of Khasra No. 121 of village Rojka Gujar, thence towards north along the western boundary of Khasra No. 121, 109, 108 and 97 of village Rojka Gujar upto point 'a' i.e. the point of start.

BHASKAR CHATTERJEE

Commissioner & Secretary to Government, Haryana,
Town & Country Planning Department.